निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 148/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

अब्दुल खॉं पुत्र बम्बू खॉं जाति मुसलमान, निवासी ग्राम सुशीलपुरा, तहसील व जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1 नूर खॉं
2 खाजू खॉं
} पुत्रान रहमान खॉं

3 भीखा खॉं पुत्र रहमान खॉं (मृतक)

3/1. फकीरा खॉं
3/2. हसन
3/3. फारूक
3/4. शारूक
} पुत्रान स्व. भीखा खॉं

4 इस्लाम खॉं
5 हनीफ खॉं
} पुत्रान बम्बू खॉं

6 सद्दो पत्नी बम्बू खॉं

7 हाजरा पुत्री बम्बू खॉं

8 शबाना पुत्री बम्बू खॉं

9 शहनाद पुत्री बम्बू खॉं

जाति मुसलमान, ग्राम सुशीलपुरा, तहसील व जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम कोट, तहसील महुआ, जिला दौसा ।

10 जमालुद्दीन पुत्र बसरूद्दीन (मृतक)

10/1. जहीरउद्दीन
10/2.अजहरउद्दीन
10/3.समीउद्दीन
} पुत्रान स्व. जमालुद्दीन

10/4.खुर्शीदा पत्नी स्व. जमालुद्दीन

जाति मुसलमान, निवासी प्लाट नम्बर 760, जे.पी. कॉलोनी नम्बर 1, जलमहल आमेर रोड, जयपुर ।

10/5. नफीसा पुत्री स्व. जमालुद्दीन पत्नी मुखतार अहमद जाति मुसलमान, निवासी 138, मौहल्ला बिलोचियान, बासबदनपुरा, जयपुर ।

11 शाहदाब पुत्र अब्दुल्ल सत्तार

12 इस्माईल्ला पुत्री अब्दुल सत्तार

13 अब्दुल सत्तार पुत्र अल्लानूर

जाति मुसलमान, निवासी भौमिया बस्ती, न्यू इन्दिरा कालोनी के पीछे, परसराम द्वारा, जल महल आमेर रोड, जयपुर ।

कलक्टर

14 श्रीमती शमीम बानो पुत्री बसारूद्दीन पत्नी अब्दुल कलाम जाति मुसलमान निवासी मकान नम्बर 17/170, भौमिया बस्ती, न्यू इन्दिरा कालोनी के पीछे, परसराम द्वारा, जल महल आमेर रोड, जयपुर ।

15 श्रीमती नसीम बानो पुत्री बसारूद्दीन पत्नी मोहम्मद इब्राहिम जाति मुसलमान निवासी प्लाट नम्बर 9, गली नम्बर 3, गुलशन कालोनी, सैयद कॉलोनी, चार दरवाजा, जयपुर ।

16 श्रीमती परवीन पुत्री बसारूद्दीन पत्नी इशहाक खान जाति मुसलमान, निवासी मकान नम्बर 776, जे॰ पी॰ कालोनी न॰ 1, नूरानी मस्जिद वाला चौक, जलमहल आमेर रोड, जयपुर ।

17 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 84/2016 व उनवानी अब्दुल खॉ बनाम नूर खॉ व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः—

1. श्री गोगराज चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री वीरेन्द्र सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 18.04.2022

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 84/2016 व उनवानी अब्दुल खॉ बनाम नूर खॉ व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी 1 लगायत 09 की ओर से अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र सिंह उपस्थित है। प्रकरण में जब्बार खान ने जरिये अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा के आदेश 01 नियम 10 सी॰पी॰सी॰ बाबत पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण में दिनांक 11.01.2017 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) व धारा 151 सी॰पी॰सी॰ पर बहस सुनी गई, तत्पश्चात दिनांक 07.02.2017 को उक्त प्रकरण पुनः बहस हेतु नियत किया गया तथा दिनांक 06.04.2017 को पुनः बहस सुनी गई, लेकिन कोई आदेश पारित नहीं किया गया एवं दिनांक 13.11.2017 को उक्त प्रार्थना पत्र पर पुनः बहस हेतु नियत की आदेशिका अंकित की गई । तत्पश्चात उक्त प्रकरण में कुछ प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने के कारण कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश हुआ एवं दिनांक 3.09.2019 को उक्त कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये तथा प्रकरण में बहस प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम

10 सी.पी.सी. हेतु आगामी पेशी 25.09.2019 को नियत की गई । तत्पचात दिनांक 30.09.2019 को पुनः बहस सुनी गई जो दिनांक 18.10.2019 को पूर्ण हुई, लेकिन कोई आदेश पारित नहीं हुआ। इसके पश्चात दिनांक 25.02.2020 को उक्त प्रार्थना पत्र. पुनः बहस सुने जाने की आदेशिका अंकित की गई । तत्पश्चात कोरोना महामारी के कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हुई एवं हाल ही में पूर्व पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने एवं अन्य पीठासीन अधिकारी के आने के पश्चात उक्त पीठासीन अधिकारी के समक्ष उक्त प्रकरण मे प्रथम पेशी 5.10.2021 नियत थी। लेकिन पीठासीन अधिकारी ने केवल उक्त प्रकरण में बिना किसी आधार के अपना अड़ियल रवैया अपनाते हुये उक्त प्रकरण में सख्त आदेशिका अंकित करते हुये बहस हेतु तारीख पेशी 12.10.2021 ही नियत कर दी गई । जबकि इस अन्तराल में न्यायालय में अवकाश चल रहा है जिससे प्रार्थी के अधिक्क्ता ने उक्त प्रकरण में नियमानुसार तारीख पेशी प्रदान किये जाने का निवेदन किया, तो पीठासीन अधिकारी ने कहा कि मै उक्त प्ररकण का निस्तारण तुम्हारे विरूद्ध करके रहूंगा। जबकि उक्त प्रकरण में वर्णित सम्पत्ति से आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के आवेदकों का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है तथा उक्त प्रकरण से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य दिनांक 15.07.2016 को उक्त राजीनामा को फेल करने की नियत से अप्रार्थीगण से मिलीभगत कर उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. मिथ्या व आधारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया तथा वर्तमान पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण व उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के आवेदकों से मिले हुये है तथा उनके प्रभाव में है जिससे प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है, जिससे उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में उचित है। अप्रार्थीगण एवं प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के आवेदक अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर प्रभाव रखते है तथा आपस में मिले हुये है। जिससे यदि उक्त वाद अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित नहीं किया गया तो अपने प्रभाव का दुरूपयोग करेंगे, जिनका मुकाबला करने मे प्रार्थी असमर्थ है, जिससे प्रार्थी अपने हक, अधिकारों व न्याय से वंचित हो जोयगा तथा प्रार्थी को न्याय प्राप्त नही होगा और तथा प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नहीं हो पावेगी। विधि का यह प्रतिपादित सिद्धान्त है कि न्याय होना ही नहीं चाहिये, बल्कि दिखना भी चाहिये। न्याय की गरीमा व साख को बचाये रखने के लिए उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के अधिवक्ता का कथन है कि हमें न तो अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही से कोई आपत्ति है और न ही अन्य न्यायालय में प्रकरण को अन्तरित किये जाने पर कोई आपत्ति है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन पत्रावली में आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र अभी तक लम्बित है। जिसका निस्तारण किया जाना शेष है। इसलिए इस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में उनको पक्षकार बनाया जाना उचित नहीं है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 05.10.2021 को आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र पर आवश्यक रूप से

बहस करने की हिदायत देते हुये सुनवाई दिनांक 12.10.2021 नियत की गई है। जिस पर प्रार्थी–वादी द्वारा दिनांक 12.10.2021 को बहस करने के बजाय यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इससे प्रार्थी की प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब किये जाने की मन्शा स्पष्ट जाहिर होती है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम ने भी अपनी टिप्पणी में आरोपों का खण्डन किया है। सम्पूर्ण तथ्यों पर मनन करने के पश्चात यह परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक **18.04.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(रोशन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर